संख्या-2786 /बयालिस-2019-23(संघ-अनुदान)/1999

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पी-889
05/12/19

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक :3 दिसम्बर, 2019**

विषय :- **खेल निदेशालय के अन्तर्गत आवासीय छात्रावास के खिलाड़ियों पर व्यय मदों की मानक दरों में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0-28/संगठन/छा0किट/उपकरण/2019-20, दिनांक 10 अप्रैल, 2019, जी0-179/संगठन/छा0किट/उपकरण/2019-20, दिनांक 22.05.2019 एवं शासनादेश संख्या- 2361/बयालिस-94-11/एस0पी0/25/93, दिनांक 08.11.1994 तथा शासनादेश संख्या-2922/बयालिस-2014-23(संघ अनुदान)/1999, दिनांक 22.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा खेल निदेशालय के अन्तर्गत चलाये जा रहे क्रीड़ा छात्रावासों के आवासीय खिलाड़ियों के कुशल प्रशिक्षण को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में आवासरत बालक/बालिकाओं पर वर्ष 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सापेक्ष निम्नवत् वृद्धि किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	**निर्धारित मानक मद**	**वर्तमान में निर्धारित धनराशि**	**वर्ष 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार स्वीकृत वृद्धि**
1	शिक्षा पर व्यय	रू0 50/- प्रति माह प्रति खिलाड़ी रू0 600 प्रतिवर्ष	रू0 250/- प्रति माह प्रति खिलाड़ी रू0 3000 प्रतिवर्ष
2	किट पर व्यय	रू0 25,00/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष	रू0 5000/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष
3	चिकित्सा पर व्यय	रू0 1,000/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष	रू0 2000/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष
4	फर्नीचर पर व्यय	रू0 300/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष	रू0 1,500/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष
5	प्रतियोगिता में भाग लेने पर व्यय	रू0 300/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष	रू0 1,500/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष
6	उपकरण आदि पर व्यय	रू0 1,500/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष	रू0 6,000/- प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उक्त पुनरीक्षित दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

(2) शासनादेश संख्या- 2361/बयालिस-94-11/एस0पी0/25/93, दिनांक 08.11.1994 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

2- उक्त के फलस्वरूप विहित व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद -06-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालकों हेतु)-04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु) पर व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-1713/दस-2019,दिनांक - 03 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-2786 (1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0 प्र0
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
6- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।